

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.-1) विभाग


क्रमांक: प. 20(4)प्रसु/अनु.1/2019पार्ट

जयपुर, दिनांक: 4/12/2019

परिपत्र


राज्य सरकार, जन घोषणा पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 27.65 (राज्य सरकार लोकतंत्र की मूल भावना "जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन") के अनुरूप कार्य करने के संबंध में शासन तंत्र के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु प्रयासरत है। उक्त जन घोषणा का संबंध उदात्त प्रजातांत्रिक मूल्यों "जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन" के अनुरूप लोक कल्याणकारी कार्य करने से है। अतः राज्य सरकार के समस्त विभागों के सचिवों/संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षकों एवं समस्त निगम/बोर्ड/स्वायत्तशासी संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि जनता के कार्यों को निर्धारित समयवधि में शीघ्र निस्तारित किया जावे एवं उनसे मिलने का समय निश्चित कर राजकीय कर्तव्यों का निर्वहन किया जावे तथा राज्य कार्यों के निस्तारण में पूर्ण पारदर्शिता तथा संबंधित व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित की जावे।

उक्त प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित कार्यपद्धति को लागू करने के संबंध में सचिव/विभागाध्यक्षों के स्तर से प्रभावी पर्यवेक्षण किया जावे।


(निरञ्जना आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महादेय
2. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव
3. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
4. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर सहित)
5. रक्षित पत्रावली


(अश्विनी भगत)
प्रमुख शासन सचिव